

एफ. सं. 6/07/2024-डीजीटीआर  
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14.05.2024

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड से विटामिन ए पामिटेट के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में पीयूसी/पीसीएन पद्धति।

सभी इच्छुक पक्ष,

महोदय/महोदया,

प्राधिकरण ने उपरोक्त विषय पर दिनांक 30.04.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से चर्चा आयोजित की है।

प्राधिकरण ने पीयूसी और पीसीएन के दायरे के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच की है। इसने नोट किया है कि पिछली जांच में इसके निष्कर्षों के अनुरूप, विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट 'समान' उत्पाद नहीं हैं। इच्छुक पक्षों द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तदनुसार, प्राधिकरण ने पीसीएन के बिना जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था और पीयूसी का दायरा दिनांक 28.03.2024 की आरंभिक अधिसूचना के अनुसार ही बना रहेगा।

28 मई, 2024 तक प्रश्नावली का जवाब दाखिल करें ।

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in)

फ़ोन: 011-23408728